श्री राहुल रणवीर द्वारा भोजपुर जिला, अंचल– संदेश के सोन नदी पर सोन घाट–34सोन से बालू खनन करने हेतु पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत दिनांकः 30.09.2020 को संदेश प्रखण्ड सभागार, जिला–भोजपुर में आयोजित लोक सुनवाई का वृत्त।

पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी0ओ0आर0 (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या–SIA/1(a)/1064/2020, दिनांक 22.07.2020 के आलोक में श्री कुमार मंगलम, अपर समाहर्त्ता (राजस्व), भोजपुर (जिलाधिकारी भोजपुर द्वारा मनोनीत) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दिनांकः 30.09.2020 को संदेश प्रखण्ड सभागार, जिला–भोजपुर में लोक सुनवाई आयोजित की गयी।

उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)

उक्त लोक सुनवाई की सूचना पर्षद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा टाइम्स ऑफ इण्डिया, हिन्दुस्तान टाइम्स, प्रभात खबर एवं दैनिक जागरण के माध्यम से दिनांकः 23.08.2020 द्वारा प्रकाशित की गयी थी। लोक सुनवाई के दौरान श्री सैन कुमार, सहायक पर्यावरण अभियंता, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् पटना द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थिति जन समुदाय एवं सभी सम्बन्धित पदाधिकारी का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के तहत इकाईयों के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला।

लोक सुनवाई कार्यक्रम में अध्यक्ष श्री कुमार मंगलम, अपर समाहर्त्ता (राजस्व), भोजपुर के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री मुन्ना कुमार शर्मा ने इकाई की उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट इन्भायरमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र में नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित नहीं किया जाएगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर गहराई तक या भूजल स्तर से उपर तक किया जायेगा। धूल को उड़ने से बचाने के उपाय किये जायेगें। सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जायेगा। ध्यान रखा जायेगा कि गीली बालू का परिवहन हो अथवा तिरपाल से ढ़क कर बालू का परिवहन हो ताकि बालू को उड़ने या गिरने से रोका जा सके। वाहनों की ओवरलोडिंग नहीं की जायेगी। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हॉर्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पी.यू.सी. प्राप्त वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब हो चुके ट्रकों का इस्तेमाल नही किया जायेगा। नदी के किनारों और सड़क के दोनों तरफ वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव / मंतव्य इस प्रकार हैं:–

1. श्री विजय कुमार, पिता–स्व0 महेन्द्र सिंह, ग्राम–खंदौल, जिला–भोजपुर द्वारा सुझाव दिया गया कि बालू खनन परियोजना में स्थानीय श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाय।

   परियोजना सलाहकार के द्वारा बताया गया कि बालू खनन परियोजना में स्थानीय श्रमिकों को ही प्राथमिकता दी जायेगी।

2. श्री विजय कुमार, पिता–श्री बजरंगी सिंह, ग्राम–फुलाड़ी, जिला– भोजपुर द्वारा पूछा गया किया कि कॉरपोरेट इन्भायरमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कुल परियोजना लागत का दो प्रतिशत राशि का उपयोग कहां किया जायेगा तथा सुझाव दिया गया कि इस राशि से हाई स्कूल में बच्चों के पानी

पीने हेतु आर.ओ. प्लांट लगाया जाये। साथ ही उनके द्वारा बताया गया कि यहां जाम की समस्या हमेशा होती है।

इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि कॉरपोरेट इन्भायरमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कुल परियोजना लागत का दो प्रतिशत राशि का उपयोग शिक्षा, सामाजिक कार्य में स्वाथ्य देख–भाल एवं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कार्यों में किया जायेगा। वाहन परिचालन इस तरह से किया जायेगा कि एक लाईन खाली रहे ताकि जाम ना लगे तथा सड़क किनारे पानी का छिड़काव किया जायेगा।

3. श्री बालमुकुंद कुमार, पिता–श्री उमेश्वरधारी सिंह, ग्राम–फुलाड़ी, जिला–भोजपुर द्वारा पूछा गया कि ट्रक चलने से धूल उड़ता है उसके लिये क्या किया जायेगा ?

इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू परिवहन के दौरान सड़क पर दिन में कम–से–कम दो बार पानी का छिड़काव किया जायेगा। तिरपाल ढ़क कर ही वाहनों का परिचालन किया जायेगा तथा सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जायेगा।

4. श्री रंजीत कुमार, पिता–श्री राम बिहारी यादव, ग्राम–नसरतपुर, जिला–भोजपुर द्वारा पूछा गया कि यदि बालू खनन के दौरान सोन नदी से बालू मशीन से निकाला जायेगा तो श्रमिकों को काम नहीं मिलेगा।

इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू खनन प्रक्रिया ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग के बिना ओपनकास्ट अर्ध–मशीनीकृत विधि से की जायेगी तथा स्थानीय श्रमिकों को रोजगार मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि सभी लीजधारकों द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खनन कार्य किया जायेगा। खनन विभाग द्वारा समय–समय पर लागू नियमों एवं दिये गये निदेशों का अनुपालन किया जायेगा। कॉरपोरेट इन्भायरमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कुल लागत का दो प्रतिशत राशि का उपयोग आस–पास के गाँवों में विकास कार्य में किया जायेगा, जहाँ तक जाम की समस्या का प्रश्न उठा है यह सिर्फ संदेश ही नहीं सभी जगह की समस्या बन गयी है। इसका कारण जनसंख्या वृद्धि तथा वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी भी है साथ ही लोगों द्वारा नैतिक ज्ञान के अभाव के कारण जहां–तहां दो पहिया एवं चार पहिया वाहन को खड़ा करने के कारण भी जाम की समस्या उत्पन्न होती है। सरकार द्वारा सड़कों की चौराई बढ़ायी जा रही है तथा स्थानीय प्रशासन एवं सम्बन्धित थानेदार की सहायता से बात–चीत कर जाम की समस्या का समाधान किया जायेगा।

अध्यक्ष द्वारा लोक सुनवाई के पश्चात् जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इकाई के खनन परियोजना के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गयी तथा लोक सुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गयी।

(मनोरंजन कुमार सिंह)	(सैन कुमार)	(कुमार मंगलम)
सहायक वैज्ञानिक पदा0	**सहायक पर्या0 अभि0**	**अपर समाहर्त्ता (राजस्व),**
बि0रा0प्र0नि0पर्षद्, पटना	**बि0रा0प्र0नि0पर्षद्, पटना**	**भोजपुर**

उपस्थिति सूची

श्री राहुल रणवीर द्वारा भोजपुर जिला, अंचल- संदेश के सोन नदी पर सोन घाट- 34 से बालू खनन करने हेतु प्रस्तावित परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 30.09.2020 (बुधवार) को 11:00 बजे पूर्वाह्न में संदेश प्रखण्ड सभागार, जिला-भोजपुर में आयोजित लोक-सुनवाई में उपस्थित महानुभावों की सूचीः

क्र० सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	कुमार मंगलम,	अपर समाहर्ता, भोजपुर	[signature] 30/09/2020
2.	प्रमोद कुमार	सहायक निदेशक खनन भोजपुर	[signature] 30/9/2020
3.	सैन कुमार	रा० पा० प्रतिनिधि, जि० रा० प्र० नि० पा० पर्षद	[signature] 30.9.20
4.	मनोजित कुमार सिंह	[illegible]	[signature] 30.9.20
5.	कुन्दन कु० शर्मा	EIA Consultant	[signature]
6.	PIYUS KUMAR	Vill:- Jamalpur	[signature]
7.	[illegible]	[illegible]	[signature]
8.	Rahul Kr.	Sakaddi	[signature]
9.	विजय कुमार	[illegible]	[signature]
10.	[illegible]	[illegible]	[signature]
11.	विजय कुमार सिंह	फुलाड़ी	[signature]
12.	बबन सिंह	फुलाड़ी	[signature]
13.	Amit Kumar	chela	[signature]
14.	राकेश कुमार सिंह	रवडोला	[signature]
15.	परवण सिंह	[illegible]	[signature]
16.	रामचन्द्र [illegible]	[illegible]	[signature]
17.	मिथिलेश कुमार सिंह	रवडोला	[signature]
18.	सोनु कुमार	फुलाड़ी	[signature]

19.	ओम प्रकाश राय	फुलाड़ी	[illegible]
20.	पिन्टू राय	बखण्डोल	[illegible]
21.	बालकृष्ण कुमार	फुलाड़ी	[illegible]
22.	परमेश्वर कुमार	फुलाड़ी	[illegible]
23.	रंजीत कुमार	नवलपुर	[illegible]
24.	राम प्रसाद ~~यादव~~ सिंह	डिहरा	रामप्रसाद सिंह
25.	दीपक कुमार	नारायणपुर	दीपक कुमार
26.	विजय कु० राई	कुशहर	[illegible]
27.	हरिनारायण सिंह	पनपुरा	[illegible]
28.	राहुल रणवीर	ग्राम- सुरुगापुर, पो०- कौरी	[illegible] प्रतिनिधि
29.	चन्द्र देव सिंह	ग्राम खालिसपुर	
30.	[illegible]	ग्राम सलेमपुर	[illegible]
31.	Mithilesh Kr Rai	Surungapur	[illegible]
32.	पंकज कुमार	नारायणपुर	भोजपुर
33.	कुणाल कुमार	फुलाड़ी	[illegible]
34.	मुन्ना कुमार	फुलाड़ी	मुन्ना
35.	संतोष कुमार	फुलाड़ी	[illegible]
36.	उमेश कुमार	फुलाड़ी	[illegible]
37.	रमेश सिंह	फुलाड़ी	[illegible]
38.	चन्द्रनारायण तिवारी	चिरहोरा	[illegible]
39.			
40.			
41.			
42.			